न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 06/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

–बनाम–

रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख) (5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ————————— ———सरकार की ओर से।
2. श्री हरिराम सिंह एडवोकेट ————————————————गेर सायल की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 01.9.2016 को गैर सायल रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है एवं अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है तथा अवैध रूप से सस्ती शराब लाकर मंहगी दर पर बेचता है। इसके द्वारा अवैध रूप से शराब का बेचान करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि तो होती है, इसके साथ साथ शराब पीने वालों में बढ़ोतरी हो रही है। जवान उम्र के लडके जो खुले रूप से लोक लिहाज के कारध शराब का सेवन नहीं करते तो लोग उक्त गैर सायल से शराब पीकर शराब की लत के आदि हो रहे हैं जिस कारण ऐसे जवान उम्र के लोगों के स्वास्थ्य पर तो विपरित प्रभाव पड़ता ही है साथ ही शराब की लत के कारण पैसों का जुगाड़ करने के लिए चोरी एवं इसी प्रकार के आर्थिक अपराध की ओर अग्रेषित हो रहे हैं। इस कारण से उक्त बुराई दिन प्रति दिन बढ रही है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

कोई व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने के लिये तैयार होता है। गैर सायल के कृत्य से कस्बा मण्डावा व आस–पास के क्षेत्र में काफी दुश्प्रचार है। उक्त गैर सायल पर उक्त कृत्य पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त गैर सायल के विरूद्ध अवैध शराब के संबंध में 03 अभियोग दर्ज है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों एवं दोषसिद्ध का विवरण निम्न प्रकार है।

1. अभियोग संख्या 79/2010 दिनांक 24.8.2010 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 53 दिनांक 31.8.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2013 को अपने निर्णय में 800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।
2. अभियोग संख्या 43/2011 दिनांक 23.5.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 28 दिनांक 31.5.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2014 को अपने निर्णय में 1800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।
3. अभियोग संख्या 71/2011 दिनांक 12.8.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 59 दिनांक 22.9.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2014 को अपने निर्णय में 400 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।

इस प्रकार उक्त रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 29.1.2018. को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर साक्ष्य अभियोजन में गवाह श्री जयराम बाजिया तत्कालीन थानाधिकारी मण्डावा,श्री अरविन्द सिंह एस.आई जिला विशेष शाखा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय,

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

झुन्झुनू, श्री दुर्गाप्रसाद प्रसाद तत्कालीन थानाधिकारी मण्डावा के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बुहाना में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 79/2010 दिनांक 24.8.2010 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 53 दिनांक 31.8.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2013 को अपने निर्णय में 800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।
2. अभियोग संख्या 43/2011 दिनांक 23.5.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 28 दिनांक 31.5.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2014 को अपने निर्णय में 1800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।
3. अभियोग संख्या 71/2011 दिनांक 12.8.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 59 दिनांक 22.9.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2014 को अपने निर्णय में 400 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल का तर्क है कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है तथा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय नें दोषी माना है। पुलिस द्वारा अभियान चलाकर आबाकारी अधिनियम के अपराध का कोटा पूर्ति हेतु गैरसायल के खिलाफ चालान किया है । जनता को गैर सायल से कोई भय नहीं है तथा अब ताजा किसी प्रकार का कोई प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूध विचाराधीन इस्तगासा ड्रोप फरमाया जावे ।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा में अभियोग संख्या 79/2010 दिनांक 24.8.2010 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 53 दिनांक 31.8.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2013 को अपने निर्णय में 800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया। अभियोग संख्या 43/2011 दिनांक 23.5.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 28 दिनांक 31.5.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2014 को अपने निर्णय में 1800 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया। अभियोग संख्या 71/2011 दिनांक 12.8.2011 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र संख्या 59 दिनांक 22.9.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2014 को अपने निर्णय में 400 रू. बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया गया जो प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–6 दस्तावेजात एवं अभियोजन साक्ष्य से साबित है और गैर सायल रणवीर उर्फ रणधीर राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज0 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नही है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैर सायल रणवीर उर्फ रणधीर को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र राजेश जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 5, मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल रणवीर उर्फ रणधीर उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना मण्डावा को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मण्डावा उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे । यह निर्णय दिनांक 30.01.2020 के पश्चात 20 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू